

पत्रांक / आयु0क0उत्तरा10 / विधि-अनुभाग / 09-10 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)
दिनांक: देहरादून: 06 जनवरी, 2010

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर ।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी ।

शासन द्वारा अधिसूचना सं0-25 / 2010 / 146(120) / XXvii(8) / 2007 / दिनांक 06 जनवरी 2010 जारी करते हुये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-370 / XXvii(8) / वाणि0क0(वैट) / 2008 दि0-11.06.2008 एवं अधिसूचना संख्या-377 / XXvii(8) / वाणि0क0(वैट) / 2008 दि0-13.06.2008 को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निरस्त किये जाने से अवगत कराया गया है।

शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें।

संगलन-उपरोक्तानुसार।

(वी0के0सक्सेना)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पू0प0सं0 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।
3. अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी।
4. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून / कुमायूँ जोन, रुद्रपुर।
5. एडिशनल कमिश्नर(आडिट / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
6. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. ज्वाइंट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हल्द्वानी।
8. ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार / रुद्रपुर।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10. श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 225 आर्शीवाद इन्कलैव देहरादून।
11. पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0, 4 सुभाष रोड देहरादून।
12. संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
13. इन्ट्रानेट ईन्फो प्रा0लि04, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।
14. नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।

15. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
16. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्टर कम्पाउण्ड राजनगर, गाजियाबाद।
17. डिप्टी कमिश्नर (उच्च याचकाकार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
18. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
19. दी होलसेल डीलर्स एसो 14, आढत बाजार देहरादून।
20. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो 222/5 गाँधी ग्राम, देहरादून।
21. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
22. विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

06-01-2010
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं०

/ 2010 / 146(120) / XXVII(8) / 2007

दिनांक: देहरादून :: 06 जनवरी, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) एवं उपधारा (6) सपटित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उओप्रओ अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 370/XXVII(8)/वाणि०कर(वैट)/2008 दिनांक 11-06-2008 एवं अधिसूचना संख्या 377/XXVII(8)/वाणि०कर(वैट)/2008 दिनांक 13-06-2008 को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निरस्त किये जाने का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

(साधा रतूडी)
सचिव, वित्त।

सं० 25 / 2010 / 146(120) / XXVII(8) / 2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियों वित्त अनुभाग 8 में आवेगलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाइल हेतु / एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(सी०एस०सेमबल)
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 25 / 2010 / 146(120) / XXVII(8) / 2007 dated 6 January, 2010 for general information.

Uttarakhand Shasan
VITA ANUBHAG-8
NO. 25 / 2010 / 146(120) / XXVII(8) / 2007
Dehradun :: Dated: : 6 January, 2010

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) and sub-section (6) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to rescind the previous Notification No. 370 / XXVII(8) / Vanijya kar(VAT) / 2008, Dated 11-06-2008 and Notification No. 377 / XXVII(8) / Vanijya kar(VAT) / 2008, Dated 13-06-2008 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette.

(RADHA RATURI)

SECRETARY, FINANCE.